



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022026-269960
CG-DL-E-09022026-269960

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2026/माघ 14, 1947

No. 460]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2026/MAGHA 14, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2026

का.आ. 489(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2472(अ), दिनांकित 23 सितंबर, 2014 के द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 [किमी.42.525 से किमी. 228.000 (उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा -भरतपुर-महुआ-जयपुर) और किमी 246.200 से किमी 298.075 (जयपुर - रींगस) तक के खंड छोड़कर] को राजस्थान राज्य सरकार के सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसमें आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है), के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 के फतेहपुर बाईपास के डिजाइन चैनेज किमी 0.000 से किमी 7.400 तक, मंडावा बाइपास डिजाइन चैनेज किमी 20.925 से किमी 27.300 तक और झुंझुनू बाईपास डिजाइन चैनेज से किमी 41.625 से किमी 54.689 तक के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन वाले खंड की 25.042 किलोमीटर लंबाई [तालिका-2] के निवल सड़क खंड के उपयोग के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% प्रतिशत पर, पेव्ड शोल्डर सहित चार लेन वाले खंड की 2.808 किलोमीटर लंबाई [तालिका-2] के निवल सड़क खंड के उपयोग के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 100% पर, पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन वाले 26.759 किलोमीटर लंबाई [तालिका-3] के बाईपास खंड, दस करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले, के उपयोग के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 90% पर, और 0.800 किलोमीटर (पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन [जिसकी लंबाई 0.08 किलोमीटर (तालिका-4)] की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाले) के उपयोग के

लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% पर तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
शुल्क प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है।
राजस्थान के झुंझुनू जिले में हेतमसर के निकट एनएच-11 के किमी 36.500 पर	25.042 किमी	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	2.808 किमी	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा(ओं) पर 10 करोड़ रु. अथवा अधिक लागत वाले बाइपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगी :-

तालिका-3						
शुल्क प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	बाइपास का नाम	शुरू होने वाला	पर मिलने वाला	बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त फीस संदेय है		दर, जिस पर फीस संदेय है
				लंबाई (किमी)	लागत (करोड़ रु.)	
राजस्थान के झुंझुनू जिले में हेतमसर के निकट एनएच-11 के किमी 36 + 500 पर	फतेहपुर बाइपास	डिजाइन चैनेज किमी 0.000	डिजाइन चैनेज किमी 7.400	7.320 किमी	156.38 करोड़ रुपए	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
	मंडावा बाइपास	डिजाइन चैनेज किमी 20.925	डिजाइन चैनेज किमी 27.300	6.375 किमी		

	झुंझुनू बाईपास	डिजाइन चैनेज किमी 41.625	डिजाइन चैनेज किमी 54.689	13.064 किमी		
				26.759	156.38	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-4			
शुल्क प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं* की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
राजस्थान के झुंझुनू जिले में हेतमसर के निकट एनएच-11 के किमी 36.500 पर	0.080	0.800	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

* 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं का व्यौरा निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	चैनेज किमी से	चैनेज किमी तक	संरचना का प्रकार	संरचना का नाम	कुल लंबाई (मी. में)
1.	4 + 925	5 + 005	स्टील कंपोजिट गर्डर और पीएससी गर्डर	आरओबी	1x25+1x30+1x25=80
संरचना की कुल लंबाई					0.080 किमी

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.00 रु. (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-5		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

6. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के

प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

10. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत **346.58** करोड़ रु. है। भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यक्षीन है। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/जेएआई/आरजे/सीई-आरओ/एनएच- 12014/2021-22/40 ई- 207213]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2026

S.O. 489(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. 2472 (E) Dated 23 September 2014 issued under section 05 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted NH No.11 [excluding from Km.42.525 to Km. 228.000 (UP/Rajasthan Border-Bharatpur-Mahua-Jaipur) and from km.246.200 to km.298.075 (Jaipur-Reengus)], In the State of Rajasthan to the State Government of Rajasthan.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said “Rules”), the Central Government hereby levies the fee sixty percent of the base rate specified in columns (2) of Table-1 for 2 lane with paved shoulder having net road section length of 25.042 km Table 2), at the base rate specified in Column (2) of the Table 1 for 4 lane with paved shoulder having net road section length of 2.808 km (Table 2), at ninety percent of the base rate specified in Column (2) of the Table 1 for 2 lane with paved shoulder for bypasses having length of 26.759 km (Table 3), costing rupees ten crore or more and for equivalent structures length (>60 m length) of 0.800 km [having 2 lane with Paved shoulder length of 0.08 km (Table 2)] at sixty percent of the base rate specified in Column (2) of the Table 1 on the type of vehicle specified in column (1) of the table 1 for Fatehpur Bypass from design chainage km 0.000 to km 7.400, Mandawa Bypass from design chainage km 20.925 to km 27.300 and Jhunjhunu Bypass from design chainage km 41.625 to km 54.689 of National Highway 11 in the state of Rajasthan and authorizes the National Highway Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely: -

Table-1	
Type of Vehicles	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20

Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 36.500 of NH-11 near Hetamsar, in Jhunjhuna district of Rajasthan.	25.042 km	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	2.808 km	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 Crore of more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):-

Table -3						
Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking off	Merging at	Length and cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km)	Cost (in Rs.Crore)	
At Km 36.500 of NH-11 near Hetamsar, in Jhunjhuna district of Rajasthan.	Fatehpur Bypass	Design Chainage Km 0.000	Design Chainage Km 7.400	7.320 Km	156.38 Crore	90% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Mandawa Bypass	Design Chainage Km 20.925	Design Chainage Km 27.300	6.375 Km		
	Jhunjhunu Bypass	Design Chainage Km 41.625	Design Chainage Km 54.689	13.064 Km		
				26.759	156.38	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza(s), by the converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10;

Table-4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures (in Km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 36.500 of NH-11 near Hetamsar, in Jhunjhuna district of Rajasthan.	0.080	0.800	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

* The details of structures (>60 m length) are as under:-

Sr. No.	Start chainage (km)	End chainage (km)	Type of Structure	Name of the structure	Total length (mtr.)
1.	4.925	5.005	Steel Composite Girder & PSC Girder	ROB	1x25+1x30+1x25=80
Total length of Structure					0.080 Km

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the toll plaza is Rs. 340 (Three Hundred and Forty Rupees Only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table -5		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in-charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highway Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees **346.58 crores**. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The National Highway Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12014/2021-22/40 E-207213]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.